उत्तर प्रदेश शासन
लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2
सं0- 5257/62-2-2017-31एम0आई0/2016
लखनऊ: दिनांक: 08 अगस्त,2017

कार्यालय ज्ञाप

विधान सभा सामान्य निर्वाचन, 2012 के समय श्री लाल बिहारी द्विवेदी तत्कालीन अवर अभियंता, लघु सिंचाई प्रतापगढ सम्प्रति सहायक अभियंता, लघु सिंचाई जनपद सोनभद्र को विकास खण्ड मान्धाता जनपद प्रतापगढ के कार्यकाल में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 247-विश्वनाथ गंज में सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप मे नियुक्ति की गयी थी। श्री द्विवेदी द्वारा रिजर्व ई0वी0एम0 को समय से जमा नही किये जाने के कारण मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 के पत्र सं0-1710/सी0ई0ओ0-1, दिनांक 29.03.2012 एवं जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी,, प्रतापगढ के पत्र सं0-185/निर्वाचन-2012, दिनांक 22.5.2012 द्वारा श्री द्विवेदी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी, जिसके क्रम में शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-3222/62-2'-2016-31एम0आई0/2016, दिनांक 13.01.2017 द्वारा श्री लाल बिहारी द्विवेदी तत्कालीन अवर अभियंता, लघु सिंचाई प्रतापगढ सम्प्रति सहायक अभियंता, लघु सिंचाई जनपद सोनभद्र के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए श्री विनोद कुमार यादव, अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खण्ड, वाराणसी को जॉच अधिकारी नामित किया गया। जॉच अधिकारी द्वारा श्री लाल बिहारी द्विवेदी के ऊपर लगाये गये आरोप सिद्ध नही पाते हुए उन्हें आरोप मुक्त किये जाने की संस्तुति की गयी है। इसी क्रम में जॉच अधिकारी की जॉच आख्या की संस्तुति संलग्न करते हुए शासन के पत्र सं0-716/62-2-2017-31एम0आई0/2016, दिनांक 22.5.2017 द्वारा जिलाधिकारी, प्रतापगढ से जॉच अधिकारी की आख्या पर संस्तुति मांगी गयी। उक्त के क्रम में जिलाधिकारी, प्रतापगढ द्वारा अपने पत्र सं0-555/निर्वा0-2017, दिनांक 09.6.2017 द्वारा जॉच अधिकारी की आख्या से सहमत होते हुए श्री लाल बिहारी द्विवेदी को आरोप मुक्त किये जाने की संस्तुति की गयी है।

2- अत- जॉच अधिकारी एवं जिलाधिकारी, प्रतापगढ की जॉच आख्याओं के आधार पर श्री लाल बिहारी द्विवेदी तत्कालीन अवर अभियंता, लघु सिंचाई प्रतापगढ सम्प्रति सहायक अभियंता, लघु सिंचाई सोनभद्र को दोषमुक्त करते हुए उनके विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

राम किंकर मिश्र,
संयुक्त सचिव।

सं0-5257(1)/62-2-2017,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 के पत्र सं0-1710/सी0ई0ओ0-1, दिनांक 29.03.2012 के संदर्भ में।
2- जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, प्रतापगढ के पत्र सं0-185/निर्वाचन-2012, दिनांक 22.5.2012 एवं 555/निर्वा0-2017, दिनांक 09.6.2017 के संदर्भ में।
3- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- संबंधित अधिकारी द्वारा मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5- संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(संजय शुक्ला)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in